डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/130/13 **Dt: 28.06.2013**

Sh. Mohammad Rashid,
637/4 – B, Sadiapur,
Wasiabad, Near Alflah
Public School, Allahabad.

Sub: Information under RTI Act-2005
Ref: Your application dtd.: 29.05.13, received on dtd.: 04.06.2013.

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग से प्राप्त क्रमवाईज सूचना निम्नलिखित है :–

क्र. सं.	चाही गई की सूचना	उत्तर/टिप्पणी
1	वसविस/प्रशासन/उमरे/इला का कार्यालय आदेश सं. 08/2013 दिनांक 29.01.2013 के संदर्भ में मुख्य परियोजना प्रबंधक/इला. कार्यालय द्वारा दिनांक 01.02.2013 से 04.02.2013 तक किन नियमों के अन्तर्गत बिना कार्यभार ग्रहण कराये प्रतीक्षा कराया गया । दिनांक 04.02.2013 को मुख्य परियोजना प्रबंधक/इला. द्वारा मौखिक रुप से पद का उपलब्ध न होना अवगत कराते हुए कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में बिना लिखित दिये, पास एवं किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा प्रदान किये कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। नियमों एवं कारणों का उल्लेख करें।	आपने वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के कार्यालय आदेश संख्या 08/2013 दिनांक 29.01.2013 के आलोक में परियोजना कार्यालय, इलाहाबाद (पूर्व) में दिनांक 04.02.2013 को सूचित किया। आपने मुख्य परियोजना प्रबंधक मुख्यालय से मुलाकात की। चूंकि आपकी कार्य मुक्ति आदेश से यह सपष्ट नहीं था की आपकी नियुक्ति परियोजना कार्यालय इलाहाबाद (पूर्व) में हुई है अथवा इलाहाबाद (पश्चिम) में। इस कारण से मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा आपको डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में रिपोर्ट करने हेतु सुझाव दिया गया। नियम एवं पद्धति अनुसार कार्पोरेट कार्यालय में ज्वॉइन होने के पश्चात ही कार्पोरेट कार्यालय द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापना आदेश जारी किये जाते हैं।

ESPATCH

2	वसविस/प्रशासन/उमरे/इला का कार्यालय आदेश सं. 08/2013 दिनांक 29.01.2013 के संदर्भ में उप महाप्रबंधक/एच.आर.-II डी.एफ.सी.सी.आई.एल-/नई दिल्ली द्वारा मेरे कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व दिनांक 29.01.2013 से 05.02.2013 के बीच में ए.पी.ए.आर.एस. (APARS) को क्यों नहीं मांगा गया। नियमों एवं कारणों का उल्लेख करें उस दौरान हुई असुविधा का जिम्मेदार कौन है।	आपके दिनांक 29.08.2012 पर रिर्पोटिंग से पूर्व ए.पी.ए.आर.एस. मंगवाई गयी (प्रति संलग्न है)
3	दिनांक 05.02.2013 को कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर किन नियमों के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों की ए.पी.ए.आर.एस. (APARS) प्राप्त ना होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया जबकि उम.रे. ही के दो अन्य ले.स. को मुख्य परियोजनाप्रबंधक/इला. एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक/कानपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण कराने के उपरान्त कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में रिपोर्ट किये जाने हेतु भेजने पर कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में पिछले पांच वर्षों की ए.पी.ए.आर.एस. (APARS) जमा किये जाने पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथियों को नियमित किया गया है। नियमों एवं कारणों का उल्लेख करें।	यह एक कार्यालय प्रकिया है।
4	दिनांक 19.02.2013 को कार्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में पिछले पांच वर्षों की ए.पी.ए.आर.एस. (APARS)	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया ।

	प्राप्त होने पर भी बिना कारण बताए जे.जी.एम./एच.आर.के. पत्र सं. H.Q./HR/P.file/560 दिनांक 20.03.2013 के माध्यम से पूर्व में बिना ए.पी.ए.आर.एस. (APARS) के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकरी के अनुमोदन का संदर्भ देते हुए बिना कारण बताए निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। नियमों एवं कारणों का उल्लेख करें।	
5	प्रत्येक परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, डी.एण्ड.ए.आर. सतर्कता निर्लिप्तता प्रमाण-पत्र एवं (APARS) ए.पी.ए.आर.एस. प्राप्त होने की तिथियों का ब्यौरा विवरणी के साथ प्रस्तुत करें।	अपेक्षित सूचना प्रारुप में उपलब्ध नहीं है।

(RajivBhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: GGM/HR

1/7/013